## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,गोपेश्वर।



पत्रांक:- 856 / 12-1

गोपेश्वर,

दिनांक,

11 08 /2023:

सेवा में.

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, थराली।

विषय:--

जनपद चमोली मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत गैरसैण शहर एवं एडजॉईनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बांघ निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:--

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी0/यू.सी.पी./09/44/2023/एफ.सी./596 दिनांक 28.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि संलग्न पत्र के बिन्दु सं० 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 पर आख्या आपके स्तर से अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बिन्दु सं० 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 पर लगाई गई आपित्तयों का निराकरण कर निराकरण आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

स्मेलग्न- उपरोक्तानुसाद।

(इन्द्र सिंह निगी) प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

奔



## भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / Ministry of Environment, Forest & Climate Change क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /



Regional Office, Dehradun

25 सुभाष रोड, चेहरादून-248001/25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001 दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईंगेल/ E-mail-moof.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./09/44/2023/एफ.सी. / 596

दिनांक: 28/07/2023

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फाॅरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद — चमोली में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-281/2017 के अंतर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाॅध निर्माण कार्य हेतु 4.95 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Water/144831/2021)

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 108/ FP/UK/Water/144831/2021 दिनांक 20-07-2023 महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28-04-2023 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है, जोकि संतोषजनक नहीं पाया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज्ा इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1- In reply to point no.1, State Govt. submitted the site specificity of the project the project proponent has submitted technical justification which was not found correct. Therefore, State Govt. is requested to submit the detailed study report of IIT, Roorkee or Wadia institute or any other Govt. organization in this regard.

2- In reply to point no.2, State Govt. submitted the benefits of proposal instead of submitting the reply w.r.t guideline dated 24.01.2022. State Govt. is requested to submit necessary comments as per Ministry's guidelines dated 24.01.2022 regarding non-site specific activity.

3- In reply to point no. 5, the clarification is found correct but the details now removed from component wise breakup. The State Govt. is requested to mention the details in component wise breakup.

4- In reply to point no. 6, submitted that second phase of the proposal will be submitted by the Jal Nigam for uplifting and supply mechanism of water. The state Govt. is requested to submit the complete proposal.



In reply to point no. 7, only undertaking found uploaded in part I and II. State Govt. is requested to upload the NPV sheet as per new rate to this office.

In reply to point no. 8, State Govt, submitted that all the 955 trees are proposed to be felled. The state Govt, is requested to explore alternate suitable site to save the large

no of trees.

7- In reply to point no. 9, submitted that wildlife mitigation plan upload online but the same not found uploaded. The state Govt. is requested to upload the wildlife mitigation plan duly approved by CWLW in accordance with Ministry's guideline in online portal.

8- In reply to point no. 10, State Govt. submitted reply to only 9 points and the same has not even mentioned in their letter. Hence, the State Govt. is requested to provide the comments regarding the CA area is suitable for planting oak plants in reply to

point no. 10 vide this office EDS letter dt. 28.04.2023.

9- The present proposal is only for the construction of the reservoir, whereas the proposal for distribution of the drinking water will be submitted by another agency. Hence, the State Govt. is requested to provide information on the distribution system as well and the extent of forest area likely to be affected.

(सन्नी गोयल) तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि स्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादुन।

(सन्नी गोयल) तकनीकी अधिकारी (वानिकी)